रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220673
CG-DL-E-24072020-220673

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942
No. 360]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SARAVANA 2, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 464(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 197 और 206ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (17वां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय ये 1 अक्तूबर, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 31कक के उपनियम (4) में खड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :--

"(vi) प्राप्त या विकलित रकम की विशिष्टियां प्रस्तुत करे, जिस पर कर एकत्रित नहीं किया गया था,--

(क) धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पहले परंतुक के अधीन क्रेता से प्राधिकृत व्यौवहारी द्वारा ;

(ख) धारा 206ग की उपधारा (1छ) के चौथें परंतुक के अधीन प्राधिकृत व्यौवहारी द्वारा ;

(ग) धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन और धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, किसी प्राधिकृत व्यौवहारी या क्रेता से किसी विदेशी पर्यटन कार्यक्रम के विक्रेता द्वारा ।

(vii) प्राप्त या विकलित रकम की विशिष्टियां प्रस्तुत करे, जिस पर क्रेता से कर एकत्रित नहीं किया गया था,--

(क) धारा 206ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के अधीन ; और

(ख) धारा 206ग की उपधारा (1ज) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (अ) या उपखंड (आ) अथवा उपखंड (इ) के मद्दे या उपखंड (इ) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए ।"

3. मूल नियमों में, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नियम 37खग के उपनियम (1) में "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" शब्दों के पश्चात् "लाभांश" शब्द अंत:स्थापित किए जाऐंगे ।

4. मूल नियमों के नियम 37गक में 'उपधारा (1) और उपधारा (1ग)' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अंक्षरों, जहां-जहां वे आते है, का लोप किया जाएगा ।

5. मूल नियमों में, नियम 37-झ के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(2क) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 206ग की उपधारा (1च) या उपधारा (1छ) अथवा उपधारा (1ज) के प्रयोजनों के लिए, स्रोत पर संगृहित कर के लिए जमा, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके खातें में से कर संग्रहण किया गया है या पूर्व वर्ष जिसमें कर संग्रहण किया गया है के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लेखें केंद्रीय सरकार को संदत्त किया गया है।"

(ख) मूल नियमों के परिशिष्ट 2 के प्ररूप 27ङथ में "उपाबंध" के स्थान पर निम्नलिखित "उपांबध" रखा जाएगा, अर्थात् :--

"[उपाबध-: टीसीएस का पक्षकार वार विघटन

(मुख्य प्ररूप 26ङथ के क्र.सं. 4 पर सारणी के प्रत्येक पंक्ति-मद के लिए प्रथृक उपाबंध का प्रयोग करे)

तारीख..........(दिन/मास/वर्ष) को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान प्राप्त/विकलित रकम और स्रोत पर संग्रहण कर का विवरण

शाखा का बीएसआर कोड/ प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति संख्या	
चालान जमा करने तारीख/अंतरण वाउचर की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	
चालान क्रम संख्या/ प्ररूप 24छ की डीडीओं क्रम संख्या	
चालान के अनुसार रकम	
ऊर्ध्वाधर रूप में स्तंभ 677 में कटौतीदारों के बीच आंबटनीय कुल टीसीएस	
नीचे उल्लिखित पक्षकारों के बीच आबंटनीय कुल ब्याज	

संग्रहकर्ता का नाम	
टैन	

क्र.सं.	संग्रहकर्ता द्वारा प्रदान की गई पक्षकार संदर्भ संख्या, यदि उपलब्ध हो	पक्षकार का कोड (01-कंपनी 02-कंपनी से भिन्न)	पक्षकार का पैन	पक्षकार का नाम	संव्यवहार का कुल मूल्य	प्राप्त/विकलित रकम	तारीख, जिसकों रकम प्राप्त हुई/विकलित हुई(दिन/मास/वर्ष)	संग्रहण कोड (कृपया 9 देखे)	कर	अधिभार	शिक्षा उपकर	संग्रहित किया गया कुल कर [673+674+675]	जमा किया गया कुल कर	संग्रहण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	वह दर, जिस पर संग्रहण किया गया है	संग्रहण न करने/निम्नतम संग्रहण करने/उच्चतम संग्रहण करने के कारण (टिप्पण 1 से 8 देखे)	धारा 206ग के अधीन निम्नतम कर संग्रहण के लिए निर्धारण अधिकारी जारी प्रमाणपत्रों की संख्या	क्या उपधारा (1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (क) या उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के अनुसार संग्रहगाही द्वारा संदाय टीडीएस के लिए दायी है और क्या ऐसे संदाय पर टीडीएस काटा गया है (यदि 680 में "च" या "छ" का चयन किया गया हो)	यदि (681क) का उत्तर हां है तो	
																			चालान संख्या	केंद्रीय सरकार को टीडीएस का संदाय किए जाने की तारीख
[664]	[665]	[666]	[667]	[668]	[669]	[670]	[671]	[672}	[673	[674]	[675]	[676]	[677]	[678]	[679]	[680]	[681]	[681क]	[681ख]	[681ग]
1																				
2																				
3																				
कुल																				

सत्यापन

मैं, ..., सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान: ....

स्रौत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर

तारीख: ....

स्रौत पर कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम टिप्पण:

1. "क" लिखे, यदि धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे "न्यूनतम संग्रहण किया गया हैं"।
2. "ख" लिखे, यदि धारा 206ग की उपधारा (1क) के अधीन घोषणा प्रस्तुत करने के मद्दे " संग्रहण नहीं किया गया हैं" ।
3. "ग" लिखे, यदि संग्रहग्राही द्वारा पैन न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर संग्रहण किया गया हैं।.
4. "घ" लिखे, यदि 206ग की उपधारा (1छ) के पहलें परंतुक के मद्दे संग्रहण नहीं किया गया हैं।
5. "ङ" लिखे, यदि 206ग की उपधारा (1छ) के चौथें परंतुक के मद्दे संग्रहण नहीं किया गया हैं।
6. "च" लिखे, यदि धारा 206ग की उपधारा (1छ) के पांचवें परंतुक के खंड (i) और खंड (ii) के मद्दे और खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए संग्रहण नहीं किया गया हैं।
7. "छ" लिखे, यदि धारा 206ग की उपधारा (1ज) के दूसरे परंतुक के मद्दे संग्रहण नहीं किया गया हैं।
8. "ज" लिखे, यदि स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (अ) या उपखंड (आ) अथवा उपखंड (इ) के मद्दे या उपखंड (इ) के अधीन जारी किसी अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए संग्रहण नहीं किया गया है।
9. धारा कोड की सूची निम्नानुसार है:

धारा	संग्रहण की प्रकृति	धारा कोड	
206ग	मानव उपभोग के लिए अल्कोहल लिकर से स्रोत पर संग्रहण	6ग	क
206ग	वन पट्टे के अधीन उपलब्ध टिम्बर से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ख
206ग	वन पट्टे से भिन्न किसी अन्य प्रकार से उपलब्ध टिम्बर से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ग
206ग	किसी अन्य वन उत्पाद (तेंदु पत्ता न हो) से स्रोत पर संग्रहण	6ग	घ
206ग	स्क्रैप से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ङ
206ग	पार्किंग नीलामी से संबंधित ठेकेदारों या अनुज्ञप्तिधारी अथवा पट्टे से स्रोत पर संग्रहण	6ग	च
206ग	टोल प्लाजा से संबंधित ठेकेदारों या अनुज्ञप्तिधारी अथवा पट्टे से स्रोत पर संग्रहण	6ग	छ
206ग	खान या खदान से संबंधित ठेकेदारों या अनुज्ञप्तिधारी अथवा पट्टे से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ज
206ग	तेंदु पत्ता से स्रोत पर संग्रहण	6ग	झ
206ग	खनिज हो, कोयला या लिग्नाइट हो या लौह अयस्क, के विक्रय से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ञ
206ग	बुलियन या जवाहरात के नकद से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ट
206ग	मोटरयान के विक्रय से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ठ
206ग	विदेशी पर्यटन कार्यक्रम पैकेज के क्रय के लिए एलआएस के प्रेषण से स्रोत पर संग्रहण	6ग	ण
206ग	धारा 80ङ में उल्लिखित वित्तीय संस्थाओं से लिए गए शैक्षिक ऋण के लिए एलआरएस के अधीन प्रेषण से स्रोत पर संग्रहण	6ग	त
206ग	विदेशी पर्यटन पैच्केज के क्रय या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए शैक्षिक ऋण से भिन्न प्रयोजन के लिए एलआरएस के अधीन प्रेषण से स्रोत पर संग्रहण	6ग	थ
206ग	माल के विक्रय से स्रोत पर संग्रहण	6ग	द"

[अधिसूचना सं. 54/2020/फा.सं. 370142/22/2020-टीपीएल]

जावेद अख्तर, निदेशक, (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण- (1) मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 429(अ), तारीख 03.07.2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।